रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एस.)-18 REGISTERED No. D. (D.S.) 18

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 1986/भाद्रपद 4, 1908
No. 11] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 1986/BHADRA 4, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1986

अधिसूचना

का. नि. आ. 11(अ) :—सशस्त्र सेना (आपात ड्यूटियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 15वां) की धारा 2 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दिल्ली में टेलीफोन सेवाओं के संचालन और अनुरक्षण से संबंधित सभी सेवाओं को समाज के लिए अत्यधिक महत्व की सेवाएं घोषित करती है ।

[फा. सं. 1(79)/86/डी. (जी. एस.-1)]
ए. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव (जी)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 23rd August, 1986.

NOTIFICATION

S.R.O. 11-E.—In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of Section 2 of the Armed Forces (ED) Act, 1947, (15 of 1947) the Central Government hereby declares all services connected with the operation and maintenance of telephone service in Delhi to be services of vital importance to the community.

[F. No. 1(79)|86|D(GS-I)]
S. K. MISRA, Jt. Secy. (G).

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986